(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3(90)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 95 Dated: 23/1/ 2018

Notification No. 9/2018– State Tax

No. F.3(90)/Fin (Rev-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by section 146 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) and in supersession of the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) State Tax dated 22nd June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/341 , dated the 22nd June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and www.ewaybillgst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

Explanation.-

(1) For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)

(2) For the purposes of this notification, "www.ewaybillgst.gov.in" means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

2. This notification shall come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3(90)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/95 Dated: 23/1/ 2018

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

Note:- The principal notification of State Tax (issued in reference to GOI notification No.4/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017) was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/341 , dated the 22nd June, 2017.

[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03(90)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 95 दिनांक 23/2/ 2018

अधिसूचना संख्या 9/2018- राज्य कर

सं0फा0 03(90)/वित्त(राज0-1)/2017-18/.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग 4, में सं0फा0 03 (10) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/341 तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना (जिसे केंद्र की अधिसूचना सं. 4/2017 केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 के सन्दर्भ में जारी किया गया था) उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल और इलेक्ट्रोनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण.-

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.gst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिस का प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है; और

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए www.ewaybillgst.gov.in से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है।

2. यह अधिसचूना 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(ए० के० सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03(90)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 95 दिनांक 23/2/ 2018

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।

4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. आयुक्त, राज्य कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. गार्ड फाइल ।
11. वेबसाइट ।

(ए० के० सिंह)

उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पण– मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग 4, संख्या सं0फा0 03 (10) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/341, तारीख 22 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी ।